



Case No. 42/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/SER-981/JH/55/2023-RO-RNC-RU-IV

डॉ. राज कुमार

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स),

बारियातु, राँची, झारखंड - 834009

E.mail: directorrimsranchi@gmail.com

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **17/04/2025 को 11:00 A.M** बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

- संदर्भ 1
- (i) अभ्यावेदिका श्रीमती प्रेमलता माईकल तिर्की, परिचारिका श्रेणी ग्रेडए -, रिम्स हॉस्पिटल, बारियातु, राँची, से प्राप्त अभ्यावेदन "परिचारिका महाविद्यालय, रिम्स, राँची के उप प्राचार्य सह प्रभारी प्राचार्य द्वारा जातिसूचक एवं हीनभावना पैदा करने वाले - क रूप से प्रताड़ित करने के शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने एवं मानसि संबंध में
 - (ii) आयोग का Summons दिनांक 19.03.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **09/04/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

(Signature)

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर



NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/SER-981/JH/55/2023-RO-RNC -RU-IV

दिनांक :09.04.2025

सेवा मे

श्रीमती प्रेमलता माईकल तिकी
परिचारिका श्रेणी ग्रेडए -, रिम्स हॉस्पिटल,
बरियातू, राँची -834009,
premlatatickeymicheal@gmail.com
Mobile No:7258073388

विषय : "परिचारिका महाविद्यालय, रिम्स, राँची के उप प्राचार्य सह प्रभारी प्राचार्य द्वारा जातिसूचक एवं हीन-
भावना पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने
के संबंध में

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **17.04.2025 समय 11:00 A.M** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें
सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading